न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 182/2022

1 पतौरी आयु 75 साल पत्नी तुलाराम उर्फ दुलाराम
2 ख्यालीराम आयु 45 साल पुत्र पुत्र तुलाराम उर्फ दुलाराम
3 सुभेता आयु 35 साल पुत्री तुलाराम उर्फ दुलाराम
4 शारदा आयु 30 साल पुत्री तुलाराम उर्फ दुलाराम
5 रघुवीर आयु 40 साल पुत्र तुलाराम उर्फ दुलाराम
6 भागोती आयु 47 साल पुत्री तुलाराम उर्फ दुलाराम
7 सज्जना आयु 45 साल पुत्री तुलाराम उर्फ दुलाराम
समस्त जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
8 पतासी पत्नी स्व. रामूराम आयु 65 साल
9 महीपाल पुत्र स्व. रामूराम आयु 45 साल
10 विजय सिंह पुत्र स्व. रामूराम आयु 30 साल
11 मणी पुत्री स्व. रामूराम आयु 47 साल
12 मामकौर पुत्री स्व. रामूराम आयु 40 साल
13 मुकेश पुत्र स्व. रामूराम आयु 35 साल
समस्त जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
14 केसर आयु 70 साल पुत्र श्री हीराराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
15 श्रीचन्द आयु 50 साल पुत्र घनश्याम जाति मेघवाल निवासी ग्राम घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
16 ओमप्रकाश आयु 45 साल पुत्र घनश्याम जाति मेघवाल निवासी ग्राम घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
17 नाहर सिंह आयु 55 साल पुत्र मातूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
18 रमेश आयु 50 साल पुत्र मातूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
19 उम्मेद आयु 45 साल पुत्र मातूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
20 दानसिंह आयु 40 साल पुत्र मातूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

21 मु. बदामडी आयु 65 साल पुत्री हीराराम पत्नी बजरंग जाति मेघवाल निवासी ग्राम घुमनसर खुर्द हाल घरड़ाना तहसील चिड़ावा ज़िला झुन्झुनूं राज.।

22 मु. विद्या आयु 60 साल पुत्री हीराराम पत्नी बजरंग जाति मेघवाल निवासी ग्राम घुमनसर खुर्द हाल घरडू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

23 मु. मेसर आयु 55 साल पुत्री हीराराम पत्नी हरीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम घुमनसर खुर्द हाल बगड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 विजेन्द्र आयु 55 साल पुत्र स्व. श्योलाल
2 संतोष आयु 50 साल पत्नी विजेन्द्र
3 सुमित्रा आयु 60 साल पुत्री स्व. श्योलाल
4 सुभिता आयु 53 साल पुत्री स्व. श्योलाल
5 प्रभाती आयु 60 साल पुत्री स्व. श्योलाल
6 परमेश्वरी आयु 65 साल पुत्री स्व. श्योलाल
7 संतोष पत्नी स्व. शीशराम आयु 60 साल
8 नरेश पुत्र स्व. शीशराम आयु 30 साल
9 मुकेश पुत्र स्व. शीशराम आयु 38 साल
समस्त जातियान जाट निवासी घुमनसर खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

10 श्रीमती छीनो आयु 80 साल पत्नी नोरंगराम हरिजन साकिन देवरोड़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर •

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 16.09.2022
पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा राज. बमुकदमा उनवानी तुलाराम बनाम
श्योलाल आदि मु.नं. 107/2013

उपस्थिति :

1. श्री हजारी लाल सुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 17/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 107/2013 में पारित निर्णय दिनांक 16.09.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मुकदमा उनवानी तुलाराम आदि बनाम श्योलाल आदि के सरसरी तौर पर वाक्यात मुकदमा इस प्रकार है कि वादीगण ने उक्त उनवानी दावा इश्तकरार हक व हुक्म इस्तनाई का इस अनुतोष के साथ पेश किया कि इस्तकरारी इस अमर का फरमाया जावे कि वादीगण जमीन गत खसरा नम्बर 176 रकबा 6 बीघा 18 बिश्वा तथा हाल खसरा नम्बर 321 रकबा 1.75 हैक्टेयर मौजा ग्राम घुमनसर खुर्द के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 को हुक्म इम्तनाई आराजी से पाबन्द किया जावे कि जमीन गत खसरा नम्बर 176 रकबा 6 बिघा 18 बिश्वा तथा हाल खसरा नम्बर 321 रकबा 1.75 हैक्टेयर मौजा ग्राम घुमनसुर खुर्द में वादीगण के कब्जे में विघ्न न डाले और काश्त करने तथा लाट बांट करने में किसी प्रकार की कोई रूकावट न डाले एवं अल्टरनेटिव यह भी सिद्धी चाही गई है कि किसी कानूनी वजह से वादीगण का कब्जा विवादग्रस्त भूमि पर न माना जावे तो कब्जा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भी दिलाया जावे। वादीगण ने उक्त वाद में पूर्व तारीख पेशी दिनांक 22.07.2022 को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने व तलबी हेतु संशोधित टाईटल हेतु आगामी तारीख पेशी 26.08.2022 नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 26.08.2022 को पीठासीन अधिकारी दीगर कार्य में व्यस्त थे इस कारण आगामी तारीख पेशी 16.09.2022 नियत की गई। दिनांक 16.09.2022 को पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त पत्रावली को आदेश 09 नियम 5 सीपीसी के तहत खारिज फरमा दिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2022 को तलबी तलवाना प्रस्तुत करने हेतु वादीगण को दिनांक 26.08.2022 की तारीख पेशी दी तथा दिनांक 26.08.2022 को पीठासीन अधिकारी दीगर कार्य में व्यस्त होने के कारण आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.09.2022 नियत की गई जिस पर अपीलार्थीगण ने दिनांक 16.09.2022 को तलबी हेतु तलवाना विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था जिस पर भी गौर नही कर निर्णय पारित किया है जो अपास्त किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि वादीगण/अपीलार्थीगण को प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण की बार–बार तामील करवाने के अवसर दिये जाने पर भी प्रतिवादीगण की तामील पेश नहीं किया। जबकि पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 22.07.2022 के पश्चात केवल मात्र एक पेशी दिनांक 26.08.2022 नियत थी जिस दिन भी विचारण न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा एक सामान्य तारीख पेशी फरमाई गई। लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.09.2022 को अपीलार्थीगण का वाद खारिज फरमा कर भारी कानूनी भूल की है इसलिए भी विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की पत्रावली को आदेश 09 नियम 5 सीपीसी के अंतर्गत खारिज फरमाया गया है जबकि आदेश 09 नियम 5 सीपीसी के तहत वो ही वाद खारिज किया जा सकता है जिसमें पक्षकारान की तलबी हेतु तलवाना पेश नहीं किया गया हो। परन्तु प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 16.09.2022 को प्रतिवादीगण

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

की तलबी हेतु तलवाना पेश किया है। विचारण न्यायालय के न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त को दरकिनार कर आदेश दिनांक 16.09.2022 पारित किया है जो सरसरी तोर पर ही खारिज किए जाने योग्य है। विचारण न्यायायल ने अपीलार्थीगण के वाद को आदेश 09 नियम 5 सीपीसी का गलत विवेचन कर. उक्त विचाराधीन आदेश दिनांक 16.09.2022 पारित किया है जो कि विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होने के कारण कतई गलत व खिलाफ कानून है, विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आदेश, दिनांक 16.09.2022 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों का विधिवत अनुसरण न करते हुए पारित किया गया है जो कानूनन अपास्त किए जाने योग्य है तथा काबिले खारिज है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने उक्त उनवानी दावा इश्तकरार हक व हुक्म इस्तनाई का इस अनुतोष के साथ पेश किया कि इस्तकरारी इस अमर का फरमाया जावे कि वादीगण जमीन गत खसरा नम्बर 176 रकबा 6 बीघा 18 बिश्वा तथा हाल खसरा नम्बर 321 रकबा 1.75 हैक्टेयर मौजा ग्राम घुमनसर खुर्द के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 को हुक्म इम्तनाई आराजी से पाबन्द किया जावे कि जमीन गत खसरा नम्बर 176 रकबा 6 बिघा 18 बिश्वा तथा हाल खसरा नम्बर 321 रकबा 1.75 हैक्टेयर मौजा ग्राम घुमनसुर खुर्द में वादीगण के कब्जे में विघ्न न डाले और काश्त करने तथा लाट बांट करने में किसी प्रकार की कोई रूकावट न डाले एवं अल्टरनेटिव यह भी सिद्धी चाही गई है कि किसी कानूनी वजह से वादीगण का कब्जा विवादग्रस्त भूमि पर न माना जावे तो कब्जा भी दिलाया जावे। वादीगण ने उक्त वाद में पूर्व तारीख पेशी दिनांक 22.07.2022 को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने व तलबी हेतु संशोधित टाईटल हेतु आगामी तारीख पेशी 26.08.2022 नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 26.08.2022 को पीठासीन अधिकारी दीगर कार्य में व्यस्त थे इस कारण आगामी तारीख पेशी 16.09.2022 नियत की गई। दिनांक 16.09.2022 को पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त पत्रावली को आदेश 09 नियम 5 सीपीसी के तहत खारिज फरमा दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि आदेश 09 नियम 5

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

सीपीसी के अन्तर्गत वाद खारिज करने के मामले में डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। आदेश 09 नियम 5 के अन्तर्गत पारित आदेश की अपील पोषणीय नहीं है। अतः अपील इसी विधिक बिन्दु पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने उक्त उनवानी दावा इश्तकरार हक व हुक्म इस्तनाई का इस अनुतोष के साथ पेश किया कि इस्तकरारी इस अमर का फरमाया जावे कि वादीगण जमीन गत खसरा नम्बर 176 रकबा 6 बीघा 18 बिश्वा तथा हाल खसरा नम्बर 321 रकबा 1.75 हैक्टेयर मौजा ग्राम घुमनसर खुर्द के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 को हुक्म इम्तनाई आराजी से पाबन्द किया जावे कि जमीन गत खसरा नम्बर 176 रकबा 6 बिघा 18 बिश्वा तथा हाल खसरा नम्बर 321 रकबा 1.75 हैक्टेयर मौजा ग्राम घुमनसुर खुर्द में वादीगण के कब्जे में विघ्न न डाले और काश्त करने तथा लाट बांट करने में किसी प्रकार की कोई रूकावट न डाले एवं अल्टरनेटिव यह भी सिद्धी चाही गई है कि किसी कानूनी वजह से वादीगण का कब्जा विवादग्रस्त भूमि पर न माना जावे तो कब्जा भी दिलाया जावे। वादीगण ने उक्त वाद में पूर्व तारीख पेशी दिनांक 22.07.2022 को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने व तलबी हेतु संशोधित टाईटल हेतु आगामी तारीख पेशी 26.08.2022 नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 26.08.2022 को पीठासीन अधिकारी दीगर कार्य में व्यस्त थे इस कारण आगामी तारीख पेशी 16.09.2022 नियत की गई। दिनांक 16.09.2022 को पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त पत्रावली को आदेश 09 नियम 5 सीपीसी के तहत खारिज फरमा दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

घुमनसर c.A.

विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि आदेश 09 नियम 5 सीपीसी के अन्तर्गत वाद खारिज करने के मामले में डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। आदेश 09 नियम 5 के अन्तर्गत पारित आदेश की अपील पोषणीय नहीं है। इस संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2023 (2) पेज 867 में अभिनिर्धारित किया है कि **Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sections 88 and 188-Suit filed by the**

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

respondent/plaintiff No. 1 and 2 for declaration and Permanent Injunction-Defendant/appellant moved an application to reject the suit-Suit dismissed in default since the plaintiffs have not taken any steps to summon the defendants-No notices were submitted-Appeal filed before the Revenue Appellate Authority against the order dated 02-05-2013 and also filed a revision against the order before the Board of Revenue-Revision allowed on cost and set aside the order dated 02-05-2013-No decree can be prepared in the cases of dismissal of the suit under Order 9, Rule 05 Code of Civil Procedure-Order passed by the S.D.O. was not appealable and parallel revision with the appeal is not permissible-Held, Order allowing revision is not illegal and upheld.

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट विधिक बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)